परिशिष्ट I [1]

[अनुच्छेद 1·6, 2·1 (ख) भाग-II]

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अन्तर्गत नियम

(1959 का 31)

(2 सितम्बर, 1959)

रोजगार कार्यालय में रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद द्वारा यह निम्नलखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (i) यह अधिनियम रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 कहा जाएगा ।

(ii) जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर यह पूरे भारत में लागू होगा ।

(iii) यह अधिनियम किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस राज्य के लिए नियत करे तथा विभिन्न राज्यों या राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तारीख नियत कर सकती है ।

परिभाषाएं

2. उस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(I) निम्नलिखित के सम्बन्ध में

(क) "उपयुक्त सरकार" का अभिप्राय है—

(i) भारत सरकार या भारत सरकार का कोई विभाग,

(viii) ऐसा दैन्य या अकुशल कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी जिसे केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अकुशल कार्यालय-कार्य घोषित कर सकती है ।

ऐसी कुछ रिक्तियां जिन पर अधिनियम लागू नहीं होता

3. (I) यह अधिनियम निम्नलिखित रिक्तियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा :—

(क) कृषक या फार्म मशीनरी कर्मी के रूप में रोजगार को छोड़कर निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान में कृषि (बागवानी सहित) के किसी रोजगार से संबंधित रोजगार में,

(ख) घरेलू सेवा के किसी रोजगार में;

(ग) जिस रोजगार की कुल अवधि तीन माह से भी कम हो उसमें;

(घ) अकुशल कार्यालय कार्य को करने वाले किसी भी नियोजन में;

(ङ) संसद के स्टाफ से संबंधित रोजगार में;

(II) जब तक केन्द्र सरकार अन्यथा इस सम्बन्ध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश नहीं देती, यह अधिनियम निम्नलिखित रिक्तियों के सम्बन्ध में भी लागू नहीं होगा—

(क) जिन रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा या अन्तर्लयन या एक स्थापना की किसी शाखा या विभाग के फालतू स्टाफ द्वारा भरने या संघ या राज्य लोक सेवा आयोग या इसी तरह की स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा या लिए गए साक्षात्कार या की गई सिफारिश के आधार पर भरने का प्रस्ताव हो ;

(ख) ऐसे रोजगार की रिक्तियां जिसमें पारिश्रमिक साठ रुपए प्रतिमास से कम हो ।

रोजगार कार्यालयों को रिक्तियों की अधिसूचना

4. (I) किसी राज्य या उसके किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद उस राज्य या क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रत्येक स्थापना के नियोजक उस स्थापना में किसी रिक्ति को भरने से पहले निर्धारित किए गये रोजगार कार्यालयों को रिक्ति की अधिसूचना देंगे ।

(II) उपयुक्त सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसमें निर्धारित तिथि से यह मांग कर सकती है कि निजी क्षेत्र की हर स्थापना के नियोजक या निजी क्षेत्र की स्थापना के किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित हर स्थापना के नियोजक उस स्थापना में किसी पद की रिक्ति भरने से पहले उसे निर्धारित रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करें और नियोजक उसके बाद इस तरह की अपेक्षा का पालन करेंगे ।

(III) उक्त उप धारा (I) या उप-धारा (II) में बताई गई रिक्तियों को रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित करने और किसी स्थिति या पद में ये रिक्तियां निकली हैं या निकलेंगी आदि के लिए वही ढंग अपनाया जाएगा जो निर्धारित होगा ।

(IV) उप धारा (I) और (II) की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि उसके अन्तर्गत किसी भी नियोक्ता को रिक्त पद पर केवल इसलिए रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती करनी ह गी क्योंकि वह रिक्ति इन उपधाराओं के अन्तर्गत अधिसूचित की गई है ।

नियोजकों को निर्धारित फार्म में सूचना और विवरणी प्रस्तुत करनी होगी

5. (I) किसी राज्य या उसके क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद उस राज्य या क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र की हर स्थापना के नियोजक स्थापना की रिक्तियों या होने वाली रिक्तियों के संबंध में निर्धारित सूचना या विवरणी ऐसे रोजगार कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे जिसे इसके लिए निर्धारित किया जाएगा ।

(II) उपयुक्त सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसमें निर्धारित तिथि से यह मांग कर सकती है कि निजी क्षेत्र की हर स्थापना के नियोजक या निजी क्षेत्र की स्थापना के किसी वर्ग या श्रेणी से संबंधित हर स्थापना के नियोजक उस स्थापना की रिक्तियों या होने वाली रिक्तियों के संबंध में निर्धारित सूचना या विवरणी ऐसे रोजगार कार्यालय को भेजेंगे जिसे इसके लिए निर्धारित किया गया हो तथा नियोजक उसके बाद ऐसी मांगों का पालन करेंगे ।

(III) इस तरह की सूचना या विवरणी उसी फार्म में और उसने समय के अन्तराल में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें दिया जाने वाला विवरण वैसा ही होगा जैसा निर्धारित किया गया हो ।

रिकार्डों या दस्तावेजों को प्राप्त करने का अधिकार

6. सरकार का कोई भी अधिकारी जिसे इसके लिए प्राधिकृत किया गया हो या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को धारा 5 के अन्तर्गत अपेक्षित किसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने के लिए किसी भी नियोजक के अधिकार में रहने वाले किसी भी दस्तावेज को देख सकता है तथा किसी भी उचित समय में ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकता है जहां उसे विश्वास हो कि वह रिकार्ड या दस्तावेज हो सकते हैं और सम्बद्ध रिकार्ड या दस्तावेज का निरीक्षण कर सकता है या उसकी प्रतियां ले सकता है या इस धारा के अन्तर्गत अपेक्षित कोई सूचना प्राप्त करने के लिए पूछताछ कर सकता है ।

दण्ड

7. (I) यदि कोई नियोजक धारा 4 की उपधारा (I) या उप-धारा (II) का उल्लंघन करें किसी रिक्ति के बारे में निर्धारित रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करने में असफल रहता है तो उसे पहली बार इस अपराध के लिए पांच सौ रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है और उसके बाद के हर अपराध के लिए एक हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है ।

(II) यदि किसी व्यक्ति से—

(क) कोई सूचना या विवरणी मांगी जाती है और वह—

(i) इस प्रकार की सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने से इंकार करता है या उसकी अवहेलना करता है ;

(ii) झूठी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है या कराता है ;

(iii) धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाने वाली किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे गए प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है या झूठा उत्तर देता है; या

(ख) धारा 6 द्वारा प्रदत्त सम्बद्ध रिकार्डों या दस्तावेजों को प्राप्त करने या प्रवेश करने के अधिकार में विघ्न डालता है,

तो उसे पहली बार अपराध के लिए दो सौ पचास रुपए तक और उसके बाद के हर अपराध के लिए पांच सौ रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा ।

अपराधों की सुनवाई

8. मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित सरकारी अधिकारी द्वारा या उसकी मंजूरी से या उस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को छोड़कर इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा ।

सद्भाव में की गई कार्रवाई से बचाव

9. इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि सद्भाव में कुछ किया जाता है या करने का अभिप्राय हो तो किसी की व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही स्वीकार्य नहीं की जायेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

10. (1) केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पिछले प्रकाशन की शर्त के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यरूप देने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की सामान्यता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ये नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकते हैं, जसे—

(क) किस रोजगार कार्यालय या कार्यालयों को किस फार्म या ढंग से कितने समय के अन्तर्गत रिक्तियां अधिसूचित की जाएंगी और उस रोजगार के विवरण जिसमें ये स्थान रिक्त हुए हों या हो सकते हों;

(ख) किस रूप में और किस ढंग से कितने समय के अन्तराल में धारा 5 के अन्तगत मांगी गई सूचना और विवरणी भेजी जाएगी तथा उनमें क्या-क्या विवरण दिया जाएगा;

(ग) किसी अधिकारी द्वारा और किसी ढंग से धारा 6 द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों की स्वीकृति और प्रवेश के अधिकार का प्रयोग किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियमों को नियम बनाने के तीस दिन के बाद जितनी शीघ्र हो सके संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाएंगे और सदन जिस सत्र में इन्हें रखा जाता है उसमें या उसके बाद के सत्रों में इन नियमों में संशोधन कर सकेगा